



JALAUN POLICE

दिनांक – 05.10.2026

जालौन पुलिस के द्वारा Mini Field Unit - Forensic first responders की पहल

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में प्रत्येक थाना स्तर पर मिनी फील्ड यूनिट का गठन किया गया तथा चयनित कर्मियों को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक जालौन की उपस्थिति में पुलिस लाईन उर्ई सभागार कक्ष में Mini Field Unit - Forensic first responders विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें प्रत्येक थाने में 2 पुलिस कर्मियों को फॉरेंसिक कार्यशाला आयोजित कर घटनास्थल पर first responder के दायित्वों की मानक संचालन प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया ताकि हर घटना में scientific साक्ष्य संकलन सुनिश्चित कर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके।

कार्यशाला के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा Post-death analysis के मुख्य बिन्दुओं जिसमें **एल्गोर मोर्टिस (Algor Mortis)** – मृत्यु के पहले कुछ घंटों में शरीर का तापमान गिरकर वातावरण के बराबर हो जाना। **राइगर मोर्टिस (Rigor Mortis)** – **शरीर का अकड़ना**- मृत्यु के 2 से 4 घंटे बाद बाद मांसपेशियां एक ही जगह पर लॉक होने जाने के कारण शरीर अकड़ जाता है। **लिवर मोर्टिस (Livor Mortis)** **शव का नीला/बैंगनी पड़ना**- मृत्यु के बाद रक्त परिसंचरण रुकने व गुरुत्वाकर्षण के कारण खून शरीर के सबसे निचले में जमा होने से त्वचा के निचले हिस्सों पर नीले, लाल या बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाना। **कैडेवरिक स्पैज्म- तात्कालिक जकड़न**-जब व्यक्ति की मृत्यु अत्यधिक तनाव, डर, या शारीरिक थकावट की स्थिति में अचानक अत्यधिक तीव्रता से अकड़ जाना आदि के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया गया।

जिसके पश्चात सीन क्रिएट कर घटनास्थल को सावधानी पूर्वक सुरक्षित करने, प्रमुख स्पॉट चिन्हित करते हुये फिंगर प्रिंट, ब्लड व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को एकत्र करने का पुलिस कर्मियों द्वारा अभ्यास किया गया।

वर्तमान समय में अपराध अन्वेषण की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक, निष्पक्ष एवं प्रभावी बनाने के लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली में केवल पारंपरिक साक्ष्यों पर निर्भर रहने के स्थान पर वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे अपराध की निष्पक्ष एवं त्वरित विवेचना संभव हो सके। जिसके दृष्टिगत समय-समय पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है।